

## जयपुर शहर में रैन बसेरा और आवासविहीन व्यक्तियों की समस्या का अध्ययन

सरोज नैनीवाल सह आचार्य समाजशास्त्र  
राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा झुन्झुनू

### शोध सार

रैन बसेरे वह स्थाई या अस्थाई आश्रय स्थल है जो गरीब आवासविहीन व्यक्तियों को विपरीत मौसम में रहने हेतु आश्रय उपलब्ध कराते है। यह स्थान ठंड और बारिश से बचने के अलावा भाजन और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाये प्रदान कर निर्धन निराश्रित व्यक्तियों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। आवासविहीन व्यक्तियों की स्थिति दशा सुधारने के प्रयास में रैन बसेरे में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं व सुरक्षा व अपर्याप्त होती है। आवासविहीनता एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा समस्या है भारत इससे अछूता नहीं है। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के अनुसार 2017 में विश्व में 1.6 बिलियन व्यक्ति अपर्याप्त आवास में निवास करते हैं भारत म 2011 की जनगणना अनुसार 17.7 लाख व्यक्ति आवास विहीन है नागरिक समाज संगठनों के अनुसार शहरी भारत की कम से कम एक प्रतिशत आबादी आवासविहीन है आवासविहीन निर्धन व्यक्तियों को आश्रय व सुरक्षा हेतु रैन बसेरा कार्यक्रम चलाया गया है परंतु रैन बसेरा बनाए गए स्थान की जानकारी के अभाव जागरूकता की कमी एवं फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में इस योजना का लाभ आवासविहीन व्यक्ति नहीं उठा पाते हैं।

**कुंजी शब्द**—रैन बसेरा, आवासविहीन, निराश्रित, समस्या, पर्याप्त आवास

### प्रस्तावना

आवास मानव की तीन प्रमुख मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है यह सुरक्षा स्थायित्व और सुविधा प्रदान करता है व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना है उचित और पर्याप्त आवास व्यक्ति के सम्मान गरिमा और आर्थिक विकास हेतु भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है आवास की इतनी इतनी महत्ता होने के बावजूद विश्व की लगभग 1.6 बिलियन आबादी उपयुक्त एवं निश्चित आवास से वंचित है यह समस्या न केवल विकसित देशों में व्याप्त है बल्कि विकासशील देशों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है जिसमें से भारत भी एक है आवासविहीन व्यक्तियों की संख्या का सटीक आंकड़ा प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि यह संख्या बदलती रहती है तथा इस समस्या को कम करके आंका गया। 2011की जनगणना के अनुसार भारत में 1.77 मिलियन व्यक्ति आवासविहीन है। 2011 की जनगणना अनुसार आवासविहीन आबादी में राजस्थान का तीसरा स्थान है जिसकी कुल आवासविहीन आबादी 181544 है। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31 प्रतिशत शहरों में बसता है और शहरी भारत में 9.42 लाख व्यक्ति आवासविहीन है। प्रत्येक एक हजार शहरी भारतीयों में से कम से कम दो व्यक्ति आवासविहीन है। जयपुर शहर जनसंख्या के हिसाब से देश का दसवां सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी लगभग 3.5 मिलियन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर में 8930 व्यक्ति आवासविहीन है। 2015 में इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज जयपुर द्वारा किए गए अध्ययन में 15634 व्यक्ति आवासविहीन स्थिति में रहते पाए गए हैं जिनमें सर्वाधिक 5236 सांगानेर में तथा सिविल लाइन में 2326 व्यक्ति रहते पाए।

जयपुर शहर में आवासविहीन व्यक्तियों की क्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	क्षेत्र	पुरुष	महिलाये	बच्चे	कुल
1	सांगानेर	1885	1162	2259	5236
2	सिविल लाइन	1314	429	583	2326
3	मोती डूंगरी	1185	379	603	2167
4	विधाघर नगर	932	437	742	2111
5	मानसरोवर	678	290	374	1343
6	हवामहल पूर्व	421	195	354	970
7	हवामहल पश्चिम	768	24	07	799
8	आमेर	402	119	161	682

स्त्रोत : 2015 में इन्स्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज जयपुर द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार

सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च दिल्ली से जुड़े अश्विन परुलकर के अनुसार हमारे शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं और आवासविहीन की बढ़ती हुई संख्या सरकार वह राज्यों के लिए चुनौती बनती जा रही है सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के पश्चात भी आवास और आश्रय का अधिकार का संविधान में विशेष उल्लेख नहीं है हालांकि आवास और आश्रय के अधिकार की व्याख्या विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में की गई है (शुभांगी छाया 2021) भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है जीवन के अधिकार में मानवोय गरिमा के साथ जीने के अधिकार और इसके संबंधित सभी आवश्यक बातें हैं जिनमें बुनियादी आवश्यकता है जैसे आश्रय, पोषण, वस्त्र, मुक्त आवाजाहि आदि शामिल है भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शहरी आवासविहीन व्यक्तियों की अतिदरिद्रता उनका अधिकारों से वंचित रहना उनकी अति संवेदनशील परिस्थितियों को पहचानते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सभी राज्यों को प्रति लाख जनसंख्या पर कम से कम एक आश्रय रैन बसेरा बनाने हेतु आदेशित किया है तथा रैन बसेरों की स्थापना संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

2022 में जयपुर शहर में 14 स्थाई रन बसेरे बनायेगये जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा 10 तथा हेरिटेज नगर निगम द्वारा 4 स्थानों पर अस्थाई रन बसेरे बनाये गये जयपुर शहर के दोनों निगम क्षेत्र में बने इन अस्थाई रैन बसेरे में प्रत्येक में 50 से 150 व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था की गई।

स्थान	क्षमता
टांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे	80
खासा कोठी पुलिया के नीचे	80
परमानंद हॉल सहकार मार्ग	50
हसनपुरा पुलिया के नीचे	50

## ग्रेटर नगर निगम

स्थान	क्षमता
रामनिवास बाग के पीछे	150
जेके लोन अस्पताल के गेट के पास	100
जेके लोन के पास केयरवेल के सामने	100
गांधीनगर रेलवे स्टेशन	50
जीटी पुलिया के नीचे	50
सांगानेर एयरपोर्ट के सामने	100
महारानी फार्म पुलिया के नीचे	100
गोपालपुरा त्रिवेणी पुलिया के नीचे	100
विद्याधर नगर सेक्टर 6	50
200 फीट बाईपास दिल्ली अजमेर रोड	100

इसे अस्थाई आश्रय स्थल के अलावा जयपुर शहर में 4 स्थानों पर स्थाई आश्रय स्थल भी है जिनमें बगड़ अस्पताल परिसर, लाल कोठी, महिला छात्रावास के पीछे, स्टेडियम रोड सांगानेर, थड़ी मार्केट मध्यम माग, झालाना बाईपास, जगतपुरा रेलवे स्टेशन, भाकरोटाशहीद भगत सिंह पार्क रेलवे स्टेशन के पास पानी पेज तिराहा, पुराना विद्याधर नगर जोन कार्यालय, हटवाड़ा स्थित वृद्ध आश्रम, गोविंद देव जी मंदिर के पास और रेलवे स्टेशन के पास बाल बसेरा संचालित है।

2023 में जयपुर ग्रेटर नगर निगम तथा हेरिटेज नगर निगम द्वारा जयपुर शहर में रेन बसेरा आवासविहीनों हेतु अस्थाई आश्रय स्थल बनाए गए हैं इस बार ट्रांसजेंडर हेतु अलग से दिन बसेरा बनाया गया हेरिटेज नगर निगम में पानी पेज तिराहा रैन बसेरा को ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किया है हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में चार स्थानों पर अस्थायी रैन बसेरा बनाये गये है। यह स्थान है आदर्श नगर जोन में ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे परमानंद हॉल, सहकार मार्ग सी स्कीम, सिविल लाइन जोन में खासा कोठी पुलिया के नीचे और हसनपुर के नीचे बनाए गए।

अस्थाई आश्रय स्थलों के अलावा हेरिटेज निगम की ओर से 5 स्थाई आश्रय स्थलों का भी संचालन किया जा रहा है जो कि आदर्श नगर जोन में शहीद भगत सिंह पार्क वृद्धाश्रम सिविल लाइन जोन में रेलवे स्टेशन के पास, दूध मंडी पानीपत तिराहा, (ट्रांसजेंडर हेतु आरक्षित) विद्याधर जोन का पुराना भवन, शास्त्री नगर वह हवामहल जोन, (पश्चिम में) गोविंद देव जी मंदिर के पास जनता मार्केट के पास स्थाई आश्रय संचालित किया जा रहे हैं।

निराश्रित व्यक्तियों हेतु सर्दी के मौसम में छत, ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तर और रात्रि भोजन उपलब्ध कराने हेतु शहर में अस्थाई आश्रय स्थल बनाए गए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 10 अस्थाई रेंज बसेरे बनाए गए हैं जिनकी जिनकी क्षमता लगभग 900 व्यक्तियों की है यहां ज्यादा सर्दी होने अलाव के लिए लकड़ियां, प्राथमिक उपचार और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है तथा रात्रि खाने का प्रबंध मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया गया। व्यक्ति अपनी फोटो आईडी दिखाकर अस्थाई रैन बसेरे में आश्रय ले सकते है।

## शोध उद्देश्य

1. जयपुर शहर में रेन बसेरों की स्थिति दशा की पहचान करना
2. रेन बसेरों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करना
3. रेन बसेरों के संबंध में आवासविहीनों के बौद्ध स्तर को जानने के संबंध में अध्ययन करना

## शोध परिकल्पना

1. जयपुर शहर में मौजूद रेंज बसेरा सुविधा आवास विभिन्न व्यक्तियों की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रही है
2. सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों में सुधार की संभावना है जो आवास विहीन व्यक्तियों की स्थिति को बेहतर बना सकती है

## शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक स्रोतों से तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची बनाकर व्यक्तिगत रूप से सांगानेर व सिविल लाइन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आवास विभिन्न स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों से साक्षात्कार लेकर तथा द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत पुस्तक, शोध पत्रिका, समाचार पत्रों, जनगणना रिपोर्ट, यूनिसेफ रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि माध्यमों से तथ्यों को एकत्रित किया गया है।

## आवासविहीन कौन है

भारत में आवासविहीन 2011 की जनगणना अनुसार भारत में 17.7 लाख या देश की कुल जनसंख्या की 0.15 लोग आवासविहीन थे जिनमें एक काल पुरुष महिलाएं माता बुजुर्ग और विकलांग शामिल है 2011 की जनगणना अनुसार आवास योजना व्यक्ति वह है जो जनगणना घरों में नहीं रहते वरन् खुले स्थान सड़क किनारे फुटपाथ इन्हेल पाइप फ्लॉवर सीढ़ियों के नीचे या पूजा स्थान रेलवे प्लेटफार्म आदि में रहते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी शहरी आवास बिन व्यक्तियों की आती दरिद्रता उनके अधिकारों से वंचित रहना उनकी अति संवेदनशील परिस्थितियों को पहचानते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आवास विभिन्न व्यक्तियों की परिभाषा को स्पष्ट किया है

1. जो व्यक्ति फुटपाथ रेलवे स्टेशनों बस अड्डा दुकानों के बाहर फैक्ट्री के बाहर पूजा स्थलों निर्माण स्थलों फूलों के नीचे और इन्हेल पाइपों में रहते हैं सोते हैं
2. पूरी दीवारों और छत के बिना अस्थाइ ढांचे जैसे प्लास्टिक की चादरों के नीचे तिरपाल के नीचे घास के छत के नीचे फुटपाथ पार्क नालों के किनारे और दूसरी सार्वजनिक स्थानों आदि पर रहने वाले व्यक्तियों को आवासविहीन माना जाएगा
3. जो रेन बसेरा, ट्रांसिट होम्स भिखारी के निवास और चिल्ड्रेंस होम्स में रात गुजारते हैं।

जयपुर शहर में जयपुर हेरीटेज और ग्रेटर नगर निगम द्वारा 15 स्थान पर रेंज बसें संचालित किए गए जहां पर अपनी पहचान पत्र दिखाकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य प्राप्त कर सकता है जगतपुरा रेलवे स्टेशन शहीद भगत सिंह पार्क जयपुर रेलवे स्टेशन के पीछे

भरोटा बगड़ अस्पताल परिसर स्टेडियम रोड सांगानेर लाल कोठी महिला छात्रावास के पीछे थड़ी मार्केट मध्यम मार्ग जालना बाईपास रेलवे स्टेशन के पास बाल बसेरा पानी पेश किराया पुराना विद्याधर नगर हटवाड़ा वृद्ध आश्रम गोविंद देव जी मंदिर और जॉन कार्यालय स्थित आश्रय स्थलों पर आवास योजना हेतु व्यवस्था की गई है

जयपुर में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा रैन बसेरे है लेकिन यहां भी महिलाओं हेतु केवल 2 में ही व्यवस्था है। आवासविहीनों हेतु रैन बसेरे बनाए गए हैं लेकिन ज्यादातर राज्यों में महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

### तथ्यों का विश्लेषण

सारणी संख्या 01 : आवासविहीन व्यक्तियों की संख्या लिंग के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	क्षेत्र	पुरुष	महिलाये	संख्या	प्रतिषत
1	सांगानेर	134	123	257	54.44
2	सिविल लाइन	68	46	114	45.55
	कुल	202	169	371	

इस अध्ययन हेतु जयपुर शहर के सांगानेर व सिविल लाइन के आवास विभिन्न स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों से साक्षात्कार लेकर तथ्यों का संकलन किया गया है सारणी 01 के अनुसार साक्षात्कार के दौरान उपलब्ध आवास विभिन्न व्यक्तियों में से 54.44 प्रतिशत पुरुष एवं 45.6 प्रतिशत महिलाएं थी।

तालिका संख्या 02 : रैन बसेरा योजना की जानकारी

अभिमत	संख्या	प्रतिषत
हां	57	15
नहीं	314	85
कुल	371	100

तालिका संख्या 02 से स्पष्ट है कि आवासविहीन स्थिति में रहने वाले केवल 15 प्रतिशत व्यक्तियों को ही शहर में संचालित स्थाई तथा अस्थायी रैन बसेरे की जानकारी प्राप्त थी तथा 85 प्रतिशत आवासविहीनों ने उनके अनभिज्ञता जाहिर की।

तालिका संख्या 03 : रैन बसेरा सुविधाओं का उपयोग किया है।

अभिमत	संख्या	प्रतिषत
हां	39	11
नहीं	332	89
कुल	371	100

तालिका संख्या 03 से स्पष्ट है कि केवल 11 प्रतिशत व्यक्तियों के ही रैन बसेरा सुविधा का उपयोग किया जबकि 89 प्रतिशत व्यक्तियों ने इसका उपयोग नहीं किया। साक्षात्कार में शामिल महिलाओं ने बताया कि वह अपने परिवार व परिवारजनों के साथ रहने में ही अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करती है इसलिए रैन बसेरा में जाना नहीं चाहते हैं जबकि पुरुषों के अनुसार रैन बसेरे जिन स्थानों पर संचालित होते हैं उन स्थानों की जानकारी के अभाव में तथा पहचान पत्र के अभाव में रैन बसेरा में आश्रय नहीं प्राप्त कर पाते हैं।

## निष्कर्ष

रैन बसेरा राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सामाजिक सुविधा है जो उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जो अत्यंत निर्धन, निराश्रित, आवासविहीन हैं। रैन बसेरों का निर्माण प्रायः सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों या उन स्थानों पर किया जाता है जहां निरंतर आवाजाही बनी रहती है यह आश्चर्य स्थल समाज के कमजोर वर्ग को विपरीत दुष्कर मौसम में आश्रय, सुरक्षा, भोजन सुविधा आदि प्रदान करते हैं परंतु इनकी व्यवस्था अभी नाकाफी है। इनमें व्याप्त कमियों में सुधार कर तथा इन्हें और सुविधायुक्त सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है।

## समाधान

1. आवासविहीन व्यक्तियों को रैन बसेरों की जानकारी प्रदान की जाए ताकि यह वर्ग अपने लिए बनाए गए कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पाये।
2. रैन बसेरे जिन स्थानों पर संचालित किए जाते हैं उनका व्यापक प्रचार किया जाए।
3. महिलाओं हेतु अलग से रैन बसेरे बनाए जाए जहां वे अपने आप को भय मुक्त व सुरक्षित महसूस कर सकें।
4. रैन बसेरे में प्रवेश हेतु पहचान पत्र के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाए ताकि पहचान पत्र के अभाव में भी आवासविहीन व्यक्ति वहां रह सके।
5. रैन बसेरों में सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

## संदर्भ सूची

1. पत्रिका न्यूज <http://www.patrika.com>

26 अक्टूबर 2023, जयपुर ट्रांसजेंडर के लिए इस बार अलग से रैन बसेरा, हेरिटेज निगम बनाएगा 4 अस्थाई व 5 स्थाई रैन बसेरे

2. <http://www.etvbharat.com>

7 दिसंबर 2023 ETV भारत राजस्थान टीम गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ जयपुर में शुरू हुए अस्थाई रैन बसेरे में रहेगी व्यवस्था।

3. दैनिक भास्कर <http://www.bhaskar.com>>news बेघरों के ठिकाने रैन बसेरे महिलाओं के लिए अलग से नहीं है कोई व्यवस्था दीप्ति मिश्रा और पारुल रांझा
4. ईटीवी भारत <http://www.etvbharat.com>  
जयपुर में 14 अस्थायी रैन बसेरे बनकर तैयार 15 नवम्बर 2022 व्यवस्थाओं के बारे में जानने को यहां करे क्लिक।

5. 2011 की भारत की राष्ट्रीय जनगणना रिपोर्ट।
6. मैकनॅटन सी.(2009) "ट्रांजिषन होमलेसनेष लाइव्य आन दा ऐ" पालग्रेव मैकमिलन पब्लिषर।
7. शेल्टर फॉर द अर्बन होमलेस "ए हेंडबुक फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड पालिसी मेकर" (2014)

8. फारहा, लैलानी (2016) "आवाज सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है।" संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष प्रतिवेदक।
9. सजिद, मोहम्मद (2018) "शहरीकरण: समस्या या अवसर" द पॉलिसी टाइम
10. बढ़ते शहरीकरण में बेघरो की कहा है जगह [http percent/www.dw.com](http://percent/www.dw.com)  
दिनांक 14.08.2018